6454
पत्रांक– / आयु0कर,उत्तराखण्ड / धारा–57 अनु0 / वाणि0कर / 2016–17 / दे0दून

कार्यालयः– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक : 20, मार्च, 2017

प्रार्थना पत्र संख्या	–	06 / 2016–17
द्वारा	–	सर्वश्री महावीर ट्रेडर्स, खसरा नं0 181, रायपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया भगवानपुर रूड़की, जिला–हरिद्वार। टिन नं0– 05016067202
उपस्थिति	–	श्री मनोज कुमार गोयल, अधिवक्ता फर्म
निर्णय का दिनांक	–	06.03.2017

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र सर्वश्री महावीर ट्रेडर्स, खसरा नं0 181, रायपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया भगवानपुर, रूड़की, जिला– हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा चबाने वाले तम्बाकू (खैनी, सुरती व जर्दा) पर कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, रूड़की सम्भाग, रूड़की का मत प्राप्त किया गया। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / प्रवर्तन) द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम– 2005 की अनुसूची–3 के अनुसार तम्बाकू युक्त पान मसाला (गुटखा) विशेष प्रवर्ग के माल के अन्तर्गत है जिस पर एम और आई पर 20 प्रतिशत की दर से करदेय है। व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में स्वयं चबाने वाले तम्बाकू की खरीद / बिक्री (जिसको सामान्य भाषा में खैनी, सुर्ती, जर्दा कहते हैं, लिखकर अपने प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया है) के व्यापार को स्वीकार किया है, जो तम्बाकू युक्त पान मसाला (गुटखा) के अन्तर्गत ही सम्मिलित होंगे तथा जिस पर 20 प्रतिशत कर की दर उचित एवं विधियुक्त होगी। कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि वर्तमान में व्यापारी 20 प्रतिशत की दर से कर अदा कर रहा है। इस प्रकार ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, रूड़की सम्भाग, रूड़की द्वारा प्रश्नगत वस्तु पर 20 प्रतिशत की दर से करदेयता होने का मत व्यक्त किया गया है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रेषित नोटिस के अनुपालन में श्री मनोज कुमार गोयल, अधिवक्ता फर्म ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि चबाने वाला तम्बाकू (खैनी, सुरती व जर्दा) तम्बाकू युक्त पान मसाला के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः उक्त पर 20 प्रतिशत की दर से करदेयता न होकर अवर्गीकृत की भांति 14.5 प्रतिशत की दर से ही करदेयता होगी।

धारा–57 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, रूड़की सम्भाग, रूड़की द्वारा प्रेषित आख्या तथा सुनवाई के समय आवेदक द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। प्रश्नगत मामले में आवेदक द्वारा चबाने वाले तम्बाकू (खैनी, सुरती व जर्दा) पर करदेयता से अवगत कराये जाने हेतु आवेदन किया गया है जबकि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा तम्बाकू युक्त पान मसाला अर्थात गुटखा पर करदेयता के सम्बन्ध मे मत व्यक्त किया गया है। खैनी, सुरती व जर्दा किस प्रकार तम्बाकू युक्त पान मसाला (गुटखा) के अन्तर्गत आते हैं, के सम्बन्ध में कोई तर्क प्रेषित आख्या में नहीं दिया गया है। खैनी, सुरती व जर्दा तम्बाकू युक्त पान मसाला (गुटखा) से सर्वथा भिन्न वस्तुऐं हैं अतः उक्त को तम्बाकू युक्त पान मसाला गुटखा के अन्तर्गत आना नहीं माना जा सकता है। उक्त वस्तुऐं उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण उक्त पर कर की दर 14.5 प्रतिशत होना अवधारित किया जाता है।

क्रमशः पेज–2 पर

उपरोक्तानुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 6454 /दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून/हरिद्वार/कशीपुर/रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/रूड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशान के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/रूद्रपुर/हल्द्वानी।
6– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7– असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–1, रूड़की।
8– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
9– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
10– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
11– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
12– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।